भारत सरकार
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 2932
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2025 (बुधवार)
15 श्रावण, 1947 (शक)
प्रश्न
पूर्वोत्तर भारत को बढ़ावा देने की पहल

2932. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पूर्वोत्तर भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय स्तर पर इन पहलों के प्रोत्साहन और क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी सहायता प्रदान की गई;
(ग) इस अवधि में ऐसी पहलों से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या के आंकड़े क्या हैं और भविष्य में इस सहायता के विस्तार की किसी योजना का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर भारत की बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसी निजी संस्था/संस्थाओं के साथ सहयोग किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) मंत्रालय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, खेल, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, आईटी/आईटीईएस, विद्युत, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अवसंरचना, सामाजिक और आजीविका विकास परियोजनाओं को शामिल करते हुए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

i. **उत्तर पूर्वी विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)** भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है और इसे दो घटकों में विभाजित किया गया है:
क. एनईएसआईडीएस (सड़क)
ख. एनईएसआईडीएस (सड़क अवसंरचना के अलावा)

ii. **उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन)** को वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक की चार वर्ष की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में केंद्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम के रूप में घोषित किया गया था।

iii. **एनईसी की स्कीमें** - "पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की स्कीमें→ नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, जो भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है, क्षेत्र के समग्र विकास में अंतरालों को पाटने के लिए दसवें वित्त आयोग की अवधि से कार्यान्वित की जा रही है।

iv. **विशेष विकास पैकेज** - गृह मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओएस) के अनुसार असम के विशेष पैकेज अर्थात बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी); कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (केएएटीसी) और दीमा हसाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (डीएचएटीसी) को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप किए हैं:

I. दिनांक 23 और 24 मई, 2025 को नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट-इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनाने के लिए दूतावासों, व्यापारिक समुदाय, वित्तीय संस्थाओं और संबंधित सरकारी हितधारकों के बीच व्यापक संवाद के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया करााना था। शिखर सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन किया गया, जैसे **09** रोडशो, **06** राज्य गोलमेज सम्मेलन, **02** राजदूत बैठक, **02** द्विपक्षीय चैंबर गोलमेज सम्मेलन, समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह आदि शिखर सम्मेलन में देश भर के बड़े उद्योगपतियों, निवेशकों आदि ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन के फोकस क्षेत्रों में पर्यटन और आतिथ्य, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्र; कपड़ा, हथकरघा और हस्तशिल्प; स्वास्थ्य देखभाल; शिक्षा और कौशल विकास; सूचना प्रौद्योगिकी अथवा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं; अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स; ऊर्जा और मनोरंजन एवं खेल शामिल थे। दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रमुख कार्यकलापों में फोकस क्षेत्रों पर मंत्रिस्तरीय सत्र, बिजनेस-टू-गवर्मेन्ट सेशन्स, बिजनेस-टू-बिजनेस मिटिंग्स, स्टार्टअप और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अपनाई गई नीति और संबंधित पहलों की प्रदर्शनियाां शामिल थीं। इस सम्मेलन में समझौता ज्ञापनों (एमओयू), आशय पत्रों और निजी निवेशकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और प्रमुख औद्योगिक समूहों से क्वालिफाइड लीड्स के माध्यम से 4.48 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

II. 6 से 8 दिसंबर 2024 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पाँच मुख्यमंत्रियों और तीन अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्रियों ने भाग लिया। इस आयोजन में 11 मंडप (8 राज्य मंडप, एरी और मूगा सिल्क मंडप और एक जीआई मंडप) शामिल थे और इसमें कारीगर प्रदर्शनियाँ, क्रेता-विक्रेता बैठकें (40 क्रेता, 70 विक्रेता), 320 विक्रेताओं/स्टॉलों का ग्रामीण हाट और 8 तकनीकी सत्र शामिल थे, जिनमें 'विकसित भारत के लिए पूर्वोत्तर की प्रगति को उत्प्रेरित करना' विषय पर "मुख्यमंत्री पैनल→ भी शामिल था।

(ख) और (ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान स्कीम-वार व्यय को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीमें	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		संशोधित अनुमान	व्यय	संशोधित अनुमान	व्यय	संशोधित अनुमान	व्यय	संशोधित अनुमान	व्यय	संशोधित अनुमान	व्यय
1	पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	572.83	572.83	520.21	519.94	666.87	370.22	825.00	787.65	800.00	736.80
2	उत्तर पूर्वी विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)	1204.24	1204.23	1993.40	1993.36	1459.54	486.94	2489.94	1040.25	1500.00	1462.39
3	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन)	-	-	-	-	400.00	121.19	2174.46	10.56	1394.00	1014.88
4	**विशेष विकास पैकेज**										
क.	बोडोलैंड प्रादेशिक	0.00	0.00	3.31	3.31	30.00	6.42	100.00	14.96	32.00	7.76

	परिषद (बीटीसी)										
ख.	कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (केएएटीसी)	21.55	21.55	67.44	67.44	40.00	1.55	100.00	6.41	100.00	94.99
ग.	दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद (डीएचएटीसी)	12.45	12.45	0.00	0.00	35.00	5.96	100.00	25.08	70.00	29.73
	कुल	1811.07	1811.06	2584.36	2584.05	2631.41	992.28	5789.4	1884.91	3896	3346.55

(घ) शून्य।

*****